IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पंडित दीनदायल उपाध्याय और महात्मा गांधी का राजनीतिक लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण एवं वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता

अंजना ठाकुर शोधार्थी

डॉ ० सुनीता सहायक आचार्य

दीनदायल उपाध्याय अध्ययन केन्द्र

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविध्यालय धर्मशाला

शोध सार :- भारत के दो महान विचारकों पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी दोनों चिंतकों ने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं माना बल्कि जनकल्याण की प्रक्रिया माना है। उपाध्याय का लोकतंत्र एकात्म मानवदर्शन की अवधारणा पर आधारित था।गांधी का लोकतंत्र अहिंसा ,सत्य से संबंधित है।लोकतंत्र एक राजनीतिक प्रणाली ही नहीं है ,सांस्कृतिक चेतना ,सामाजिक समरसता , नैतिक मूल्यों पर आधारित व्यवस्था है।लोकतंत्र की नीव में पंडित दीनदायल उपाध्याय और महात्मा गांधी का योगदान रहा है।उपाध्याय ने लोकतंत्र को एकात्म मानवदर्शन के आलोक में देखा जिसमें व्यक्ति, समाज, राष्ट्र का समन्वय जरूरी है। उनका मानना था कि पश्चिमी लोकतंत्र केवल भौतिक पक्ष है। भारत के लोकतंत्र में आध्यात्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक तत्वों का होना आवश्यक भी है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के बिना लोकतंत्र अधूरा ही रहता है। गांधी की नैतिकता पर आधारित राजनीति उपाध्याय की सांस्कृतिक दृष्टि लोकतंत्र को मूल्य आधारित बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। गांधी का दृष्टिकोण ग्राम स्वराज,सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों पर आधारित था नैतिकता, आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। दोनों के अनुसार लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहे ।

संकेत शब्द :- लोकतंत्र ,अहिंसा ,सत्य ,एकात्म मानवदर्शन,नैतिक

प्रस्तावना :- आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है।लोकतंत्र बीसवीं सदी में राजनीतिक अवधारणा के रूप में उभरा है।यह बीसवीं सदी का युद्धघोष भी रहा है।विश्व के अधिकांश सभ्य देशों में लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था है। इसे सरकार का सबसे अच्छा रूप माना जाता है। लोकतंत्र में सभी को संप्रभु सत्ता के प्रयोग में भागीदारी लेने का अधिकार भी है। यह इस विचार पर जोर देता है कि किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार या फिर एकाधिकार वाली राजनीतिक शक्ति प्रदान नहीं करता है। लोकतंत्र जनता को खुद प्रशासन करने की

क्षमता पर भरोसा दिलाता है।यह लोकतंत्र पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में हेरोड़ोंल्स जितना पुराना है। यह केवल सरकार का रूप ही नहीं है। यह समाज का एक रूप या स्थिति भी है। संध्या जुनेजा के अनुसार ‘‘प्लेटो के समय से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक लोकतंत्र शब्द बहुत ही घृणित व निंदनीय रहा है। प्लेटो व अरस्तु जैसे यूनानी विद्वान इस शासन व्यवस्था को घृणित व विकृत स्वरूप को मानते हैं। आधुनिक समय में जो लोकतंत्र का स्वरूप विद्यमान है उसे यहां तक पहुंचने में काफी समय लगा है।उन्नीसवीं शताब्दी के बाद से इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है।तथा वर्तमान समय में यह है श्रेष्ठतम रूप बन गया है।’’ लोकतंत्र का उद्देश्य जनसाधारण का आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक कल्याण करना है। लोकतंत्र व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है जनता ही प्रत्यक्ष रूप से स्वयं प्रशासन करती है।

भारतीय लोकतंत्र मात्र एक संवैधानिक ढांचा नहीं है यह देश की ऐतिहासिक विरासत, नैतिक, संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। ये मूल्य प्रणाली उन विचारधाराओं से पनपी हुई है जिनमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, समानता, सहभागिता पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी दो महान विचारक हैं जो लोकतंत्र को केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया न मानकर लोककल्याण का साधन मानते है।उपाध्याय का दृष्टिकोण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानवदर्शन से प्रेरित था।गांधी का लोकतंत्र नैतिकता पर आधारित था लोकतंत्र को जन की सेवा के रूप में देखा ग्राम स्वराज को इसका केंद्र बिंदु माना है।लोकतंत्र का आधार जनता की आत्मनिर्भरता नैतिक चेतना होनी चाहिए। उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि भारतीय लोकतंत्र को पश्चिमी मॉडल की भांति नहीं चलाया जा सकता है।आज के समय में लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित हो गए हैं समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है,उस समय दीनदयाल के सांस्कृतिक लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा और गांधी की नैतिक राजनीति अत्यंत आवश्यक हो जाती है।

शोध उदेश्य :-

पंडित दीनदायल उपाध्याय और महात्मा गांधी के राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा को जानना।

उपाध्याय और गांधी का राजनीतिक लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण एवं वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता को उजागर करना है।

शोध विधि :- प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक और वर्णात्मक शोध विधि का प्रयोग किया जाएगा ।

लोकतंत्र का विकास: -लोकतंत्र का मूलत: विकास सत्रहवीं शताब्दी और अठारहवीं शताब्दी से प्रारंभ होता है।आधुनिक समय में भी यह विकास की अवस्था में है। लोकतंत्र की विकास की अवधारणा लंबे ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। यह एक नवीन धारणा है जिसके चिन्ह प्राचीन भारतीय और यूनानी ,रोमन साम्राज्य में भी मिलते हैं। इसे प्राचीन धारणा भी स्वीकार किया जाता है। अठारहवीं शताब्दी से पूर्व पश्चिम देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भी विद्यमान थी लेकिन इनका विकास मूल रूप से अठारहवीं शताब्दी के बाद प्रारंभ हुआ।

अठारहवीं शताब्दी से पूर्व लोकतंत्र का विकास:- अठारहवीं शताब्दी से पूर्व लोकतंत्र का विकास यूनानी नगर राज्य के समय से ही माना जाता है। यूनानी समाज में लोकतांत्रिक सरकार का अस्तित्व विद्यमान था। यदि हम प्राचीन भारत में लोकतंत्र की और दृष्टि डाले तो वहां कुछ समाज ऐसे थे जिनकी सरकारी लोकतांत्रिक सरकारों की तरह ही थी। प्राचीन भारत में उच्च स्थान पर राजतंत्रीय शासन व्यवस्था और निम्न स्थान पर लोकतांत्रिक प्रणाली विद्यमान थी। ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रतिनिधियों का चयन होता था। प्रतिनिधियों का स्थान वर्तमान समय के पंच के समान ही होता था। अपने में से ही मुखिया को निर्वाचित करते थे। ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल एवं गुप्त काल में गोप और सभा नामक संस्थाओं के चिन्ह मिलते हैं। जो जनप्रतिनिधि संस्थाएं थी। प्राचीन युग में रोम में भी गणतंत्रीय प्रणाली थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व एवं उसके बाद पांच सदियों पूर्व तक रोम में गणराज्य विद्यमान था। इसमें लोकतांत्रिक प्रणाली के काफी गुण थे। रोम ने लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत में एकता एवं अखंडता को अधिक महत्व दिया गया था।मध्यकाल में लोकतंत्र की विकास की गति धीमी रही थी। इसके पीछे कारण सामंतवाद और चर्च का प्रशासन एवं जनता पर प्रभाव था। राज्य और पोप के बीच सर्वोच्चता के विषय पर किस युग में लोकतंत्र का विकास नहीं हो सका था।

आधुनिक काल में लोकतंत्र का विकास:-

आधुनिक समय में लोकतंत्र का विकास धीमे-धीमे हुआ है। लोकतंत्र का प्रथम स्वरूप प्राचीन यूनान में एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में देखा गया था।मैग्ना कार्ट 1215,सोहलवीं और सताहरवीं शताब्दी के पुनर्जागरण एवं प्रबोधन, शानदार क्रांति 1688, अमेरिकी क्रांति 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1789, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 इत्यादि। इन सब क्रांतियों युद्धों, आंदोलनों, राजनीतिक विद्वानों आदि ने पूरे विश्व को आधुनिक लोकतंत्र की और अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में सोशल मीडिया जनसंचार जनता की भागीदारी का माध्यम बन गया है। लोकतंत्र डिजिटल माध्यम से पारदर्शी बन गया है।

राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ:-राजनीतिक लोकतंत्र का मूल आधार स्वतंत्रता,समानता एवं बंधुत्व है। राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ यह है कि सभी मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को उच्च पद प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए। राजनीतिक दायरे में किसी भी मनुष्य के साथ जाति, लिंग धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव न हो। संक्षेप में कहे तो राजनीतिक लोकतंत्र किसी मनुष्य या फिर किसी वर्ग को किसी भी आधार पर कोई विशेष सुविधा न दे न ही उसे किसी राजनीतिक अधिकारों से दूर रखा जाए।

विषय :-पंडित दीनदायल उपाध्याय ओर महात्मा गांधी का राजनीतिक लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक लोकतंत्र का दृष्टिकोण भारतीय परंपरा,सांस्कृतिक मूल्यों और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण पर केंद्रित था। उनके अनुसार लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि यह समाज की आत्मा से जुड़ी हुई एक नैतिक प्रणाली है। वे पश्चिमी लोकतंत्र की नकल को भारत के लिए अनुपयुक्त मानते थे और उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण से लोकतंत्र के स्वरूप को परिभाषित करने का आग्रह किया। उपाध्याय का मानना था कि "भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सुदृढ़ हो सकती है,

जब वह इस देश की संस्कृति, परंपरा,मूल्य-व्यवस्था पर आधारित हो''। उनके के अनुसार लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनसामान्य के बीच आत्मीयता, सहभागिता, सेवा-भाव को विकसित करना होना चाहिए उनका यह विश्वास था कि लोकतंत्र में शासन सत्ता का केन्द्र नहीं बल्कि समाज का सेवक होना चाहिए। वे सत्ता के केन्द्रीयकरण के विरोधी थे और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में भी थे। उन्होंने "एकात्म मानववाद" की विचारधारा के माध्यम से स्पष्ट किया कि व्यक्ति, समाज, प्रकृति के बीच समरसता होनी चाहिए। उनके अनुसार लोकतंत्र तब तक वास्तविक नहीं हो सकता जब तक उसमें आत्मा का स्थान न हो''। भारतीय लोकतंत्र के लिए पश्चिमी मॉडल की अनुकृति को अनुपयुक्त माना और भारतीयकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उपाध्याय का विश्वास था कि लोकतंत्र को भारतीय संदर्भ में तभी सफल बनाया जा सकता है जब वह देश की परंपराओं, आस्थाओं ,सामाजिक संरचनाओं के अनुरूप ढल सके। उनके अनुसार लोकतंत्र केवल बहुमत की सरकार नहीं, यह जनकल्याणकारी व्यवस्था है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है।

महात्मा गांधी का राजनीतिक लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण

महात्मा गांधी का राजनीतिक लोकतंत्र का दृष्टिकोण भारतीय सभ्यता नैतिकता और जन-कल्याण की भावना पर आधारित था। उनके लिए लोकतंत्र केवल एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं आत्म-शासन, नैतिक अनुशासन सामाजिक सेवा का माध्यम था। उनका का मानना था कि लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें व्यक्ति की आत्मा की स्वतंत्रता, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का समावेश न हो। उन्होंने लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए कहा ''जनता के द्वारा, जनता के लिए नैतिकता से प्रेरित शासन कहा''।उनकी की दृष्टि में लोकतंत्र की आत्मा गांवों की आत्मनिर्भरता में निहित थी गांधी के अनुसार लोकतंत्र का मूल लक्ष्य सत्ता की प्राप्ति नहीं जनसेवा और लोककल्याण होना चाहिए।उनका मानना था कि सत्ता का केन्द्रीयकरण लोकतंत्र के लिए घातक है जबकि सत्ता का विकेन्द्रीकरण जनता को सशक्त बनाता है।गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना के माध्यम से सता के विकेंद्रीयकरण की वकालत की । उनके अनुसार, ''सच्चा लोकतंत्र तभी फलता है जब जनता अपने निर्णय स्वयं लेने लगे''। राजनीतिक नेतृत्व को गांधी ने जनसेवक की संज्ञा दी और इस बात पर बल दिया कि नैतिक मूल्यों के बिना लोकतंत्र केवल खोखली औपचारिकता बन कर रह जाएगा। उन्होंने अपने लेखों,भाषणों मे स्पष्ट किया कि जो व्यवस्था समाज के अंतिम व्यक्ति तक न पहुँचे,वह लोकतांत्रिक नहीं हो सकती। उनका यह दृष्टिकोण आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, जब लोकतंत्र की आत्मा को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता हो रही है।

पंडित दीनदायल उपाध्याय और महात्मा गांधी के राजनीतिक लोकतंत्र की वर्तमान में प्रासंगिकता

वर्तमान समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाएं केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित होती जा रही हैं और जनप्रतिनिधित्व नैतिक उत्तरदायित्व से कटता दिख रहा है,तब उपाध्याय और गांधी के लोकतंत्र संबंधी विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उपाध्याय का एकात्म मानववाद भारतीय संस्कृति, नैतिकता और सेवा के आधार पर लोकतंत्र को पुनर्परिभाषित करता है। वही गांधी का लोकतंत्र ग्राम स्वराज ,आत्मशासन की अवधारणा पर आधारित है। दोनों ही विचारकों ने सत्ता के विकेंद्रीकरण,,नैतिक राजनीति और समाज की भागीदारी को लोकतंत्र की आत्मा माना। आज जब शासन में पारदर्शिता और जनसहभागिता की माँग बढ़ रही है,तब गांधी का सत्य, अहिंसा पर आधारित नेतृत्व और दीनदयाल का अंत्योदय का सिद्धांत समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने की दिशा में मार्गदर्शक बन सकते

हैं। इन विचारों को यदि समकालीन लोकतंत्र में व्यवहार में लाया जाए तो यह व्यवस्था अधिक मानवीय,उत्तरदायी, लोककल्याणकारी बन सकती है।

निष्कर्ष :- दोनों ही विचारकों ने लोकतंत्र को केवल संवैधानिक प्रक्रिया या सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं माना उसे एक नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के रूप में देखा। दोनों विचारकों की लोकतांत्रिक अवधारणाएं सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध थीं और दोनों ने विकेंद्रीकृत शासन, जनसहभागिता तथा नैतिक नेतृत्व को लोकतंत्र का अनिवार्य तत्व माना। आज लोकतंत्र में नैतिक गिरावट और केवल चुनावी प्रक्रिया पर केंद्रित शासन प्रणाली की आलोचना हो रही है उस समय दोनों के विचार हमें एक वैकल्पिक मूल्यनिष्ठ, जनकल्याणकारी लोकतंत्र का मार्ग दिखाते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों चिंतकों की लोकतांत्रिक अवधारणाएं न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं बल्कि वर्तमान और भविष्य के भारत के लोकतंत्र को सशक्त व समावेशी बनाने में अत्यंत उपयोगी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती हैं।दोनों विचारकों ने पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र की सीमाओं को स्वीकारते हुए भारतीय मूल्यों पर आधारित लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। गांधी ने जहाँ राजनीतिक नेतृत्व में नैतिकता और सत्याग्रह को आवश्यक माना वहीं उपाध्याय ने राजनेताओं से दार्शनिक दृष्टि और सांस्कृतिक चेतन, की अपेक्षा रखी। दोनों ने व्यक्ति की गरिमा लोक कल्याण और राष्ट्रधर्म को लोकतंत्र का मूल आधार माना। उपाध्याय और गांधी दोनों ही भारतीय लोकतंत्र को केवल एक राजनीतिक प्रणाली नहीं बल्कि एक नैतिक एवं सांस्कृतिक आदर्श मानते थे।दोनों का मानना था कि लोकतंत्र की आत्मा जनता में है और उसका आधार आत्मनिर्भरता,नैतिकता एवं समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में निहित है। गांधी का लोकतंत्र रामराज्य की संकल्पना पर आधारित था जहाँ सत्ता का विकेन्द्रीकरण, ग्राम स्वराज्य और नैतिक नेतृत्व प्रमुख थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राजनीति को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि सेवा, धर्म और संस्कृति का संवाहक माना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नंदा,डॉ ० एस ० एस ०. (2005).राजनीति विज्ञान और भारतीय लोकतंत्र.जालंधर:मॉडर्न पब्लिशर्सज.
2. उपाध्याय,दीनदायल.(1965).एकात्म मानवदर्शन. नई दिल्ली :भारतीय विचार केन्द्र.
3. सिन्हा,राकेश.(2016). पंडित दीनदायल उपाध्याय :चिंतन और दर्शन.नई दिल्ली :-प्रभात प्रकाशन.
4. तिवारी,रॉयबहादुर.(2021). भारतीय लोकतंत्र की अवधारणा में गांधी और दीनदायल का योगदान. काशी विधापीठ.
5. उपाध्याय, डी.डी. (2016). दीनदयाल उपाध्याय सम्पूर्ण वांग्मय खंड-12. नई दिल्लीः प्रभात प्रकाशन.
6. गांधी,महात्मा.(1959).हिन्द स्वराज.अहमदाबाद :नवजीवन ट्रस्ट.
7. गांधी,महात्मा.(1976).सम्पूर्ण गांधी वांग्मय,खंड -65,प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नवजीवन ट्रस्ट:अहमदाबाद.
8. गांधी,महात्मा.(1978). सम्पूर्ण गांधी वांग्मय,खंड -72 ,प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नवजीवन ट्रस्ट:अहमदाबाद.
9. गांधी,महात्मा.(1978).सम्पूर्ण गांधी वांग्मय,खंड -74,प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नवजीवन ट्रस्ट:अहमदाबाद.
10. Parel, Anthony J. (2006). Gandhi's Philosophy and the Quest for Harmony. Cambridge: University Press.
11. हरिजन,26 जुलाई 1942.
12. यंग इंडिया,8 अगस्त 1929.